13.06.18 पत्रावली आज हिदायतन कार्य हेतु आदेश प्रसंगाधीन में पेश हुई। दिनांक दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक व अनावेदक सं. 1 व 2 ने अपना अपना पक्ष रखा। अतः दोनों पक्षकारान को सुना जाकर एवं बहस पर मनन करने व संलग्न विधि को देखा जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवादित शामलाती भूमि का है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को अपने [illegible] [illegible] से कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल रहे। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर बाद तकमील नम्बर से खारिज होकर शामिल दाखिल रहे।

[illegible]

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
[illegible]